महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या-5802 /2025/002-comp no. 1954407

प्रेषक,
राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 दिसंबर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना के अन्तर्गत प्रथम आंशिक कार्ययोजना के रूप में अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत 01 जनपद की 01 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि **रू0-198.20 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में धनराशि रू0-**99.00 लाख (रूपये निन्यान्बे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

क्रम सं0	जनपद का नाम	निकाय एवं स्थल का नाम	एस0ओ0पी0 के अनुसार अनुमन्य कार्य का विवरण	आकलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (₹लाख में)	प्रथम किशत के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	देवरिया	1. नगर पंचायत रूद्रपुर, देवरिया में अवस्थित श्री लोकनाथ बाबा मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	हाल का निर्माण कार्य	73.02	99.00
			इण्टरलॉकिंग पाथ-वे का निर्माण कार्य	27.00	
			सम्पर्क मार्ग हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	10.22	
			घाट एवं रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य	63.63	
			प्रकाश व्यवस्था	17.39	
			वाटर कियोस्क एवं बेंच	6.94	
		01 परियोजना-	**योग-**	**198.20**	**99.00**

(रूपये निन्यान्बे लाख मात्र)

(i) उक्त स्वीकृतियॉ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।

(ii) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग/व्यय हो जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-2746/9-1-2025-1738288, दिनांक 04.07.2025 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में संबंधित निकाय द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्य से संबंधित फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त की माँग का प्रस्ताव शासन को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाएगा। तद्क्रम में शासन द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

(iii) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था केअनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iv) उक्त परियोजनान्तर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप अनुमन्य कार्यों को ही स्वीकृति किया गया है। जो कार्य अनुमन्य है, उन्हीं कार्यों को कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी का होगा।

(v) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय की होगी तथा संबंधित जिलाधिकारीएवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(vi) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(vii) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(x) संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(xi) वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों के क्रम में कराये गये कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त संबंधित निकायों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

(xiii) जिला स्तर पर विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यो का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(xiv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(xv) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(xvii)अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(xviii) इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **99,00,000 (रुपये निन्यान्बे लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808001100 प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-9-124-X-2025-26-दिनांक: 21 नवंबर, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
Rajeshwari Prasad Vishwakarma
Date: 24-12-2025 18:45:10

भवदीय,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-5802(1)/2025/002-comp no. 1954407, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
4-जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
5-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (शहरी) लखनऊ।
6-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रूद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
12- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13- गार्ड बुक।

Digitally signed by
Kripa Shanker Jaisvar
Date: 24-12-2025
18:48:18

आज्ञा से,

(कृपाशंकर जैसवार)
अनु सचिव।